न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.121 / प्रा.पत्र / 2024	14.10.2024	11.08.2025
(GCMS No. 2024 / 185)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1. केशर पुत्री परथी जाति भील
   निवासी गुढा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. बिशनी पुत्री परथी जाति भील (मृतक नाम विलोपित)
   निवासी गुढा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
3. भूती पुत्री शंकरया जाति भील (मृतक नाम विलोपित)
   निवासी गुढा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी परथी वल्द रूपा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 167, 168, 174, 179 कुल रकबा 1.5297 हैक्टेयर वाकेग्राम गुढा आवंटन आदेश दिनांक 24.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 121/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/185 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट भू.अ./25/2558 दिनांक 30.06.2025 के अनुसार अप्रार्थी सं.2 व 3 का विवाह ग्राम डाबी में होना तथा ग्राम डाबी में मजमेआम में पूछताछ करने पर उक्त दोनों के जीवित अथवा मृत होने या वारिसान के संबंध में जानकारी नहीं होना अंकित है। अप्रार्थी सं.1 केशर पुत्री परथी स्वयं दिनांक 18.11.2024 को उपस्थित न्यायालय आई, किन्तु बावजूद सूचना आगामी पेशियो पर असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आई, ऐसे में पत्रावली दिनांक 07.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि पर खान से निकलने वाले पत्थर कचरा (रलाव) पड़ा हुआ है। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि परथी वल्द रूपा कौम भील निवासी गुढा को दिनांक 24.11.1975 को भूमि खसरा सं. 167 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा, 168 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, 174 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा एवं 179 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाकेग्राम गुढा का आवंटन किया गया था। ग्राम गुढा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 167, 168, 174, 179 कुल रकबा 1.5297 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध संयुक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, आईएलआर एव नायब तहसीलदार डाबी अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी के वारिसानों का कब्जा काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पर पत्थर कचरा

जिला कलेक्टर; बून्दी

... एकपक्षीय कार्यवाही।

(रलाव) पड़ा हुआ है। नकल खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) वर्ष 2024 संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर ''पड़त'' पडी हुई है। जिससे कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं होना प्रमाणित होता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला अभिलेखगार से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली में उपलब्ध दखलनामा में गवाहान एवं आवंटी के कब्जा प्राप्त करने के हस्ताक्षर/अंगूठानिशानी नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने, भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर पत्थर कचरा (रलाव) पड़ा होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से ऐसा प्रतीत होता है कि गैर खातेदारान उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने के इच्छुक नहीं है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी परथी वल्द रूपा कौम भील निवासी गुढा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 167, 168, 174, 179 कुल रकबा 9 बीघा 09 बिस्वा (हाल रकबा 1.5297 हैक्टेयर) वाकेग्राम गुढा दिनांक 24.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी